पंचदश बिहार विधान सभा

द्वादश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-22.02.2014 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री विनोद प्रसाद यादव, स०वि०स० श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, स०वि०स० श्री राजेश्वर राज, स०वि०स० श्री कृष्णनंदन यादव, स०वि०स० डा० दाउद अली, स०वि०स० श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार, स०वि०स० श्री जावेद इकबाल अंसारी, स०वि०स० श्री रामानंद यादव, स०वि०स० श्री अशोक कुमार सिंह, स०वि०स० श्री अरूण मांझी, स०वि०स० श्री शैलेश कुमार, स०वि०स०	"गया जिलान्तर्गत रानीगंज से जोल्ह बिगहा भाया बरहेता निविदा संख्या-6961, वर्ष-2012-13, संवेदक श्रीमती रीना देवी, लेम्बोइया से पननिया निविदा संख्या-6977, वर्ष-2012-13 संवेदक श्री अजय कुमार को फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र, फर्जी भुगतान पत्र, फर्जी इनकम टैक्स रिटर्न, फर्जी बैंक गारंटी प्रमाण-पत्र के आधार पर तत्कालीन ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियन्ता-सह-मुख्य अभियन्ता द्वारा नाजायज ढंग से आर्थिक लाभ के लिए कार्य आवंटन किया गया । साथ ही उपरोक्त सूचनाओं को सूचना के अधिकार के अन्तर्गत सूचना देने में भी काफी विलम्ब किया गया । निर्माणाधीन सड़क की गुणवत्ता भी अत्यन्त ही निम्न है । शेरघाटी अनुमण्डल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आमस प्रखण्ड के जी०टी० रोड से मंझौलिया तथा कई अन्य सड़कों की निविदा आवंटन में भी कार्यपालक अभियन्ता एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा अनियमितता बरती गयी । सड़कों में कार्य भी घटिया स्तर का कराया जा रहा है । अत: आवंटित निविदा के रद्द करते हुए फर्जी प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी सह संवेदकों पर कानूनी कार्रवाई करने तथा सम्पूर्ण मामले की जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई से कराने हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	ग्रामीण कार्य

1	2	3	4
2.	श्री चन्द्रशेखर, स०वि०स० श्री दुर्गा प्रसाद सिंह, स०वि०स० श्री बृज किशोर सिंह, स०वि०स० श्री दिनेश कुमार सिंह, स०वि०स० श्री अम्बिका सिंह, स०वि०स०	"कोशी प्रमंडल के मधेपुरा, सुपौल एवं सहरसा जिला के कार्यालय सहरसा जिला संवर्ग सहयोग समिति लि०, मधेपुरा में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना के पत्र सं०-6489 पटना, दिनांक-23 मई, 1981 के आलोक में वर्ग-3 सहकारिता प्रबंधक के पद पर नियुक्त 244 कर्मियों का वेतन वर्ष 1997 से नहीं मिला है । सभी कर्मी अपनी सेवानिवृत्ति की उम्र तक विभागीय निदेशानुसार जिले के विभिन्न पैक्सों में रहकर कार्य किये हैं । सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं०-2481, दिनांक-28.04.2008 में स्पष्ट उल्लेख है कि सहकारिता प्रबंधक अपनी सेवानिवृत्ति की उम्र तक कार्यरत रहेंगे । इन सहकारिता प्रबंधकों को वेतन नहीं मिलने के कारण इनके परिवारों के समक्ष भुखमरी की स्थिति है । अतः इन 244 प्रबंधकों के बकाया वेतन का भुगतान हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	सहकारिता

फूल झा
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-07/14- 430 / वि०स०, पटना, दिनांक-21 फरवरी, 2014 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग तथा सहकारिता विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21.2.14

(नियाज अहमद)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-07/14- 430 / वि०स०, पटना, दिनांक-21 फरवरी, 2014 ई० ।

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय / निजी सहायक, संयुक्त सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रभारी सचिव एवं प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

21.2.14

(नियाज अहमद)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।